

समाहरणालय, सरायकेला - खरसावो ।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जमशेदपुर के पत्रांक - 212 दिनांक 09.09.2013 के द्वारा 132 KV D/C रामचन्द्रपुर - जादूगोड़ा एवं 220 KV D/C रामचन्द्रपुर - चाईबासा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु उपयोग में आने वाले गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आवेदित जंगल - झाड़ी भूमि की विवरणी निम्नवत है -

क्र०	ट्रांसमिशन लाइन का नाम	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	किस्म
1	220 KV D/C	गम्हरिया	बड़काटाड	74	85	30	0.72 ए०	जंगल
2	रामचन्द्रपुर -	गम्हरिया	बड़काटाड	74	85	31	0.59 ए०	„
3	चाईबासा ट्रांसमिशन लाइन	गम्हरिया	बड़काटाड	74	86	181	0.22 ए०	„
4	132 KV D/C रामचन्द्रपुर - जादूगोड़ा ट्रांसमिशन लाइन	गम्हरिया	बिरराजपुर	457	06	33	2.99 ए०	„
कुल वन भूमि (एकड़ में) -							4.52 एकड़	

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉंची के पत्रांक- 1521/रा० दिनांक 08.06.2010 के कंडिका 02 में निहित प्रावधान के अनुसार एक परियोजना के अंतर्गत अधिकतम 10.00 (दस) एकड़ भूमि तक का गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए संबंधित उपायुक्त को प्राधिकृत किया गया है। उक्त परियोजना के तहत कुल योग रकवा - 4.52 एकड़ है। उपरोक्त भूमि का सत्यापन संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा किया गया है एवं किसम जंगल होने के कारण वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जाँच के बाद "अधिसूचित वन भूमि नहीं" सूचित किया गया।

अतः उक्त के आलोक में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जमशेदपुर को संबंधित अंचल अधिकारी के भूमि सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(Signature)
उपायुक्त,

सरायकेला-खरसावो ।

ज्ञापांक-213/रा०, सरायकेला, दिनांक ...21/2/15.
प्रतिलिपि - पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(Signature)
उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावो ।